CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

मुगल मनसबदारी व्यवस्था : एक विश्लेषण

Dr Digvijay Yadav
Asst. Professor, Apna Ghar shalimar Extension, Alwar
Email-Digvijayyadav1900@gmail.com, Mobile- 8233302525

First draft received: 27.05.2024, Reviewed: 29.05.2024, Final proof received: 04.06.2024, Accepted: 28.06.2024

सारांश

'मनसबदार' मुगल साम्राज्य का शासक वर्ग था। लगभग सभी अमीर प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी, मनसबदारी ही होते थे। परिणामस्वरूप मनसबदारों की संख्या और विभिन्न कालों में उनकी संरचना न केवल राजनीति तथा शासन को ही प्रभावित करती थी, प्रत्युत साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी उसका गहन प्रभाव पड़ता था।

मुख्य-शब्द *: मनसबदार, अमीर प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी आदि.*

प्रस्तावना

'मनसबदार' मुगल साम्राज्य का शासक वर्ग था। लगभग सभी अमीर प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी, मनसबदारी ही होते थे। परिणामस्वरूप मनसबदारों की संख्या और विभिन्न कालों में उनकी संरचना न केवल राजनीति तथा शासन को ही प्रभावित करती थी, प्रत्युत साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी उसका गहन प्रभाव पड़ता था।

''सैद्धान्तिक रूप से मुगल अमीर वर्ग सम्राट की ही रचना थी। केवल उसको ही अपनी प्रजा को मनसब प्रदान करने उसमे उन्नति करने या अवनति करने या उसको जब्त करने का एकाधिकार प्राप्त था।''[1]

मनसब प्रथा का विकास

''मुगलों के अन्तर्गत अधिकारी वर्ग में मनसब (पद, स्थान, श्रेणी) शब्द किसी पद पर आसीन (मनसबदार) व्यक्ति के स्थान का द्योतक था।''[2] मनसब अपने आप में एक पद ही नहीं था, वह उसके प्राप्तकर्ता के स्तर को ही निर्धारित नहीं करता था, वरन् उसके वेतन को भी निश्चित करता था तथा उसे यह उत्तरदायित्व सौंपता था कि वह निश्चित संख्या में सैनिकों को घोड़ो व साज सामान के साथ अनुराक्षित करेगा।

यह माना गया है कि मनसब प्रथा की उत्पत्ति दसमलव प्रणाली पर आधारित सैनिक संगठन से हुई। इसमें कुछ सत्यता हो सकती है किंतु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों मे मनसबदारी प्रथा, जिसे अकबर ने लागू किया, पहले की प्रणाली से भिन्न थी, साथ–साथ यह अत्यधिक व्यापक एवं नियंत्रित था।

''मुगल मनसब प्रथा में सभी मनसबदार प्रत्यक्ष रुप से सम्राट के मातहत थे चाहे वे 10 सवारों या 5000 सवारों का संचालन ही क्यों न करता हो। अमीरों (उच्च श्रेणी के मनसबदार) तथा शेष मनसबदारों के मध्य भेद मुख्यतः परम्परागत था तथा उसका सैनिक संगठन पर प्रभाव नही पहता था'',[3] इस प्रकार 5000 हजार का मनसबदार 1000 के पांच मनसबदारों को अपने अतंर्गत रखकर सैनिक टुकड़ी नहीं बना सकता था । उसका मनसब केवल उसकी ही सैनिक टुकड़ी को इंगित करता था। अपनी सेना की विभिन्न टुकड़ियों की देखभाल करने हेतु वह अपने अधीन अधिकारियों को तो रख सकता था लेकिन ऐसे अधिनस्थ अधिकारी तब तक मनसबदार नहीं हो सकते थे जब तक कि उनकी निजी सैनिक टुकड़ी उनके उच्च अधिकारी की सैनिक टुकड़ी से पृथक नहीं हो।

इसके अतिरिक्त ''मुगल मनसब द्विसूचक होता था तथा दो संख्याओं को संकेतिक करता था – एक तो जात (निजी) व दूसरा का सवार (घुड़सवार) संबोधित किया जाता था। अकबर के राज्य काल के अंतिम वर्षों से ही जात की संख्या कृत्रिम संख्या बन चुनी थी, जिसका मुख्य कार्य लागू वेतनमान के अनुसार वेतन को इंगित करने के साथ अधिकारी वर्ग में मनसबदार को निश्चित स्थान पर रखना था।''[4] दूसरी ओर सवार पद इसका निर्धारण करता था कि मनसबदार को कितने घोड़े और घुड़सवार रखने पड़ेगे। अतएव इसे अश्व सैनिक या सैनिक पद कहना चाहिए। अकबर के उत्तरकालीन वर्षो में पहले पहल यह दूसरे पद के रूप में मिलता है।

"यद्यपि सत्रहवी शताब्दी में अकबर की मनसबदारी प्रथा के आधारभूत तत्वों को बनाये रखा गया किंतु साथ ही साथ उसमे कुछ नये तत्व भी सामने आये इस प्रकार हम जहांगीर के अन्तर्गत हम प्रथम बार दो अस्पा – सेह अस्पा मनसब के संबध में सुनते हैं।''[5] शाहजहाँ के अन्तर्गत हम नये मासिक वेतनमान 'मासिक अनुपात तथा विभिन्न सवार मनसबों के अन्तर्गत सैनिक टुकडियों के आधार नियंत्रित करने के लिए नियम मिलते हैं।

जात और सवार पद

अकबर के समय में जैसाकि हम पहले कह चुके है, साधारणत सवार पद जात पद के या तो बराबर था या उससे कम। उसके उत्तराधिकारियों के अन्तर्गत भी स्थिति इसी प्रकार की रही। ''अब्दुल अजीज ने ऐसे पाँच उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जहां सवार पद जात से अधिक है किंतु उनका विचार है, ऐसा केवल प्रतिलिपि की त्रुटियों के कारण हैं''[6] औरंगजेब के शासनकाल के द्वितीय भाग में, ऐसे मनसबदार बहुत ही अधिक संख्या में थे जिनके सवार पद जात पद से अधिक थे। यह सत्य है कि कुछ में सवार पद प्रतिबंधित (मशरुत) थे। जयपुर अखबारात में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें साधारण पद तथा प्रतिबन्धित सवार पद मिलकर जात पद से कहीं अधिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि बादशाह ने बचत के विचार से आवश्यक समझा कि अमीरों के जात पद के अनुपात में बिना वृद्धि किये हुए उनके अतर्गत सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया जाए।

प्रतिबंधित (मशरूत) पद

''पहले जात और सवार पदों में ही प्रतिबंधित (मशरूत) पदों को जोड़ दिया जाता था। मीरात उत्त इस्तिलाह के रचयिता के अनुसार जात मनसब के साथ अप्रतिबन्धित सवार मनसब प्रदान किया जाता था''[7] उदाहरणार्थ यदि किसी मनसबदार को एक विशेष प्रदेश में फौजदार नियुक्त किया जाता था और इस बात का आभास होता था कि उसके द्वारा संतोषजनक कार्यों को करने के लिए 100 सवारों के मनसब की और आवश्यकता है तो फौजदार के मनसब में प्रतिबंधित मनसब की वृद्धि कर दी जाती थी ताकि वह 100 सवारों की भर्ती कर ले। इस अतिरिक्त प्रतिबंधित मनसब के वेतन के लिए उसे जागीर भी प्रदान कर दी जाती थी।

जब उसे इस पर से स्थानान्तरित कर दिया जाता था, तो साधारणत उसका प्रतिबन्धित मनसब रद्द कर दिया जाता था और अतिरिक्त दी गयी जागीर भी उससे वापस ले ली जाती थी।

दो अस्पा–सेह अस्पा पद

''जहांगीर के राज्यकाल में मनसबदारी प्रथा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, अर्थात – दो अस्पा–सेह अस्पा मनसब को लागू किया गया।''[7] जहाँगीर के राज्यकाल के दसवें वर्ष में जब महावत खां को दक्कन के कार्य करने लिए नियुक्त किया गया तो उसे विशिष्ट ढग से सम्मानित करने के लिए 700 सवारों को दो अस्पा सेह अस्पा कर दिया गया। यह किसी अमीर को दो अस्पा सेह अस्पा मनसब प्रदान किए जाने का सर्वप्रथम उदाहरण है।

''सैद्धान्तिक रूप से दो अस्पा सेह अस्पा मनसब सवार पद का ही एक अंग माना जाता था। इस मनसब को व्यक्त करने का राजकीय ढंग इस प्रकार से था– यदि किसी के 4000 सवारों में से 1000 दो अस्पा–सेह अस्पा होते थे तो शेष 3000 हजार को बराबर्दी कहते थे।''[8] बराबर्दी वे भाग थे जिसके लिए अमीर को उसी दर से भुगतान किया जाता था, जिस प्रकार से उसके साधारण मनसब के लिए तथा उसका उत्तरदायित्व भी उसी पैमाने पर होता था परतु दो अस्पा–सेह अस्पा के लिए उसके उत्तरदायित्व एवं वेतन दोनो ही दुगने कर दिये जाते थे। दूसरे शब्दों में सैनिक उत्तरदायित्व एवं वेतन की दृष्टि से 4000 सवार पद, जिसमे 1000 हजार दो अस्पा–सेह अस्पा थे का वास्तविक अर्थ 3000 हजार सवार था (अर्थात 3000 साधारण + 1000 2–3 अस्पा = 3000 साधारण + 1000X2 = साधारण = 5000 साधारण) । इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब सम्राट किसी व्यक्ति पर कृपा करना चाहता था या यह चाहता था कि उसके जात पद में वृद्धि किए बिना उसके वह एक बड़ी सैनिक टुकड़ी रखे तो उसे दो अस्पा–सेह अस्पा प्रदान कर दिया जाता था।

मासिक–अनुपात

''मासिक अनुपात का नियम जो सर्वप्रथम शाहजहां के राज्यकाल में अस्तित्व में आया शीघ्र ही सर्वव्यापी हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति सरकार द्वारा निर्धारित रकम (जमा) तथा जागीर से वास्तव में वसूल की गयी लगान की रकम (हासिल) के बीच के अंतर के कारण हुई।''[9] इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ऐसी जागीर प्राप्त करता जिसकी जमा कागज पर उसके वार्षिक वेतन (तलब) के बराबर हुआ करती थी तो वास्तव में उसे अपने दावे का केवल 1/2 भाग 1/4 भाग ही प्राप्त होता पाता था ऐसी स्थिति में जागीर को 'शशमाहा' (छमाही) या सेहमाहा (तिमाही)) आय वाली जागीर ही कहा जाता था। शाहजहां के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में मुगल दक्कन की वास्तविक हासिल जमा का केवल चौथाई भाग था (अर्थात तीन मास के बराबर)। वास्तव में अपने आरम्भिक दौर में जहाँ मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के विस्तार तथा सुदृढीकरण में सहायक सिद्ध हुई वहीं इसके उत्तरवर्ती चरण में यह साम्राज्य में गुटबंदी, अमीरवर्ग की महत्वाकांश का कारण बनकर मुगल साम्राज्य के विघटन मे सहायक सिद्ध होती है।

सन्दर्भ

1. मुगलकालीन अमीर वर्ग – अतहर अली पृ0 25
2. द मनसबदारी सिस्टम एण्ड मुगल आर्मी– अब्दुल अजीज पृ0 16–25
3. दी एग्रेरियन सिस्टम आफ मोसलमीन इंडिया – डब्लयू मोरलैण्ड पृ0 36
4. सलेक्टेड डाक्यूमेट्स आफ शाहजन्हस – स. रेन पृ0 133
5. द एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल एम्पायर – इरफान हबीब पृ0 112
6. द मनसबदारी सिस्टम एण्ड मुगल आर्मी– अब्दुल अजीज पृ0 102
7. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन – जदुनाथ सरकार पृ0 100
8. हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब – जदुनाथ सरकार पृ0 72
9. मध्यकालीन भारत – सतीश चंद्र पृ0 116